लामें के विमेश तिस्थित यह अबिहार सरकार करियोग के अधिवर्धांक लामें (ग) श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 19.03.08 संख्या..... चूँकि बिहार राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि राज्य के प्रवासी मजदूरों की मृत्यू की स्थिति में उनके वैध आश्रितों के लिए अनुदान का प्रावधान किया जाना आवश्यक है । उक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 को अधिनियमित करना आवश्यक है:

इसलिए अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार बिहार एतद् द्वारा बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली. 2008 निम्नलिखित रूप में बनाती है :-

बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008

1.

-

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भः- यह नियमावली बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 कही जा सकेगी ।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(३) यह दिनांक 1 ली अप्रैल, 2008 से प्रवृत होगी ।

2. परिभाषाएँ :-

(1) इस नियमावली में जब तक कि संदर्भ के अनुसार अन्यथा जरूरत न हो :-(क) '' दुर्घटना'' से अभिप्रेत है वाह्य हिंसा के कारण दुर्घटना के चलते मृत्यु जो दृश्यमान प्रकृति का हो और इसमें शामिल है:-ट्रेन या सड़क दुर्घटना, विद्युत स्पर्शाघात, सांप काटना, पानी में डूबना, आग, वृक्ष अथवा भवन से गिर जाना, जंगली जानवरों द्वारा प्रहार, आतंकवादी अथवा अपराधिक आक्रमण आदि/ जो भी हो, यह सूची व्याख्यात्मक है परन्तु उत्तराजनतालक मामले में साहे कामाज पर आग अंतिम नहीं ।

परन्तू स्वेच्छा से लगायी गयी चोट या आत्महत्या या मादक द्रव्यों या पदार्थ के सेवन के प्रभाव से हुई दुर्घटना या अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंधन करने के काम में हुई मृत्यु इसमें शामिल नहीं है, । यह योजना परमाणु विकिरण तथा युद्ध के कारण मृत्यु के मामलों में भी लागू होगी । (ख) ''प्रखंड विकास पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रखंड के विकास पदाधिकारी ।

- (ग) ''अंचल अधिकारी'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अंचल के अंचल अधिकारी ।
- (घ) ''जिला पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता ।
- (च) ''आश्रित'' से अभिप्रेत है मृतक मजदूर की विधवा, महिला मजदूर के मामलें में पति, पत्नी / पति के जीवित नहीं रहने की स्थिति में, आश्रित पुत्र, अविवाहित पुत्री, माता-पिता, मृतक अविवाहित मजदूर की स्थिति में माता-पिता संयुक्त रूप से आश्रित होगा ।
- नोटः- अनुदान की राशि सभी आश्रितों के बीच समान अनुपात में भुगतान किया जायेगा ।
- (छ) ''श्रमायुक्त'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त श्रमायुक्त ।
- (ज) ''श्रम अधीक्षक'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त श्रम अधीक्षक ।
- (झ) <u>''प्रवासी मजदूर'' से अभिप्रेत</u> है अन्य राज्यों में असंगठित क्षेत्र में काम करनेवाला मजदूर <u>।</u>
- (ञ) ''नियमावली'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008
- शब्द और अभिव्यक्ति जो प्रयोग में आया है लेकिन इस नियमावली में परिभाषित नहीं है, उसका वही समान अर्थ होगा, जैसा बिहार राज्य में समझा जाता है ।
 आश्रितों के उपर्युक्त क्रम में विधिक आश्रितों का निर्णय अंचल अधिकारी लेंगे ।
 यह योजना वैसे प्रवासी मजदूरों पर लागू होगी जो बिहार राज्य के अधिवासी हो
- एवं 18 से 65वर्ष की आयु-वर्ग में आते हों । 5. प्रवासी मजदूर की मृत्यु के मामले में न्यायनिर्णित आश्रितों को एक लाख रूपये की राशि रेखांकित चेक ∕ डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतेय होगी । यदि अंचलाधिकारी द्वारा घोषित आश्रित के विरूद्ध कोई विवाद हो, वहाँ जिला

6.

- मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील किया जा सकेगा, जिनका निर्णय अन्तिम होगा। (क) किसी दुर्घटना से संबद्ध जानकारी प्रपत्र-1 में प्रखंड विकास पदाधिकारी/ श्रम अधीक्षक/ जिला दंडाधिकारी/ पंचायत/ शहरी निकाय को दी जायेगी । प्रपत्र की अनुपलब्धता के मामले में सादे कागज पर जानकारी दी जा सकेगी, सभी जिला कार्यालयों / अनुमंडल कार्यालयों / प्रखंड कार्यालयों / ग्राम पंचायत कार्यालयों तथा शहरी निकाय कार्यालयों में प्रपत्र पर्याप्त मात्रा में रखे जायेंगे ।
- (ख) मृत प्रवासी मजदूर के आश्रितों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह दुर्घटना की जानकारी शीघ्रता से उपर नामित प्राधिकार को दे देगा ।

-2-

7. अनुदान प्राप्त करने हेतु दावा-पत्र प्रपत्र-2 में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ श्रम अधीक्षक/ जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में दायर किया जायेगा । श्रम अधीक्षक/ जिला दंडाधिकारी दावा पत्र प्राप्ति के तुरन्त बाद, इन्हें दावा की जाँच एवं प्रतिवेदन के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेज देगा ।

8. (क) दावे के प्राप्त होने के तुरन्त बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी उसकी जाँच करेंगे।
 √ख) दावा-पत्र की जाँच के समय प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवासी मजदूर के नियोजन,

मृत्यु के कारण, उसकी आयु एवं वैध आश्रित तथा दावा की सत्यता के बारे में तथ्य सुनिश्चित करेंगे ।

नहीं करने हो, वे अनुशासनिक कार्रवाई के उसरवायी होंगे ।

(ग) दावों की प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर जाँच पूरी कर ली जायेगी एवं श्रम अधीक्षक/ जिला पदाधिकारी को बिना किसी विलम्ब के भेजा जायेगा ।

(घ) जाँच प्रतिवेदन को श्रम अधीक्षक/ जिला दंडाधिकारी द्वारा अविलम्ब प्रक्रियाधीन कर लिया जायेगा ।

9. (क) यदि जिला मजिस्ट्रेट उचित समझें, तो वे दावे की जाँच स्वयं अथवा किसी अन्य अधीनस्थ पदाधिकारी से करायेंगे । जो भी हो, ऐसी जाँच प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन प्राप्ति के एक महीने के भीतर पूरी कर ली जायेगी ।

(ख) जिला दंडाधिकारी, जैसी स्थिति हो, जाँच प्रतिवेदन की प्राप्ति के ३० दिनों के भीतर <u>दावा की</u> मंजूरी देंगे : यदि दावा की मंजूरी दी जाती है तो उनके आश्रितों को रेखांकित चेक / डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अनुदान की राशि का भुगतान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से किया जायेगा । दावा अस्वीकृत होने की स्थिति में, कारण सहित सूचना जल्द से जल्द दावा कर्त्ता को भेजी जायेगी ।

10. सभी प्रखंड एवं जिला कार्यालयों में एक रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें दुर्घटना से संबद्ध जानकारी और दावा से संबंधित निर्णय अभिलेखित एवं संरक्षित रहेंगे । इस रजिस्टर का संधारण निर्धारित प्रपत्र - 3 में प्रखंड कार्यालय एवं प्रपत्र -4 में जिला कार्यालय में पोषित किया जायेगा ।

11. (क) राज्य स्तर पर श्रमायुक्त, बिहार, श्रम संसाधन विभाग इस योजना के प्रभारी होंगे ।

(ख) जिले में श्रम अधीक्षक इस योजना के प्रभारी होंगे । जिला पदाधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अन्य पदाधिकारी को इस कार्य हेतु प्राधिकृत कर सकेगें एवं वह पदाधिकारी इस योजना का प्रभारी होगा ।

(ग) जिला पदाधिकारी जिले में इस योजना का पुनर्विलोकन करेंगे तथा इस योजना के समुचित कार्यान्वयन के लिए यथोचित निदेश दे सकेंगे ।

-3-

12. प्रत्येक प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रत्येक माह के 10 वीं तारीख तक प्रगति प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को भेजेंगे, तथा जिला पदाधिकारी प्रत्येक महीने की 15 वीं तारीख तक प्रगति प्रतिवेदन श्रमायुक्त, बिहार को भेजेंगे । उन्हों के हर्डाहीय हुए कोंच कि लिए के हैं। कि लिए के जीत

यदि किसी प्रवासी मजदूर की बीमा पॉलिसि हो, तो भी उनके आश्रितों को इस योजना 13. के अधीन लाभ से वंचित नहीं किया जायेगा । त्वांवी बोका जाव त्वयूत के लोग त्यात के द्वांत का

14. ऐसे सभी पदाधिकारी जो इस योजना के अन्तर्गत निहित कर्त्तव्यों का निर्वहन जानबूझकर नहीं करते हों, वे अनुशासनिक कार्रवाई के उत्तरदायी होंगे ।

15. श्रम संसाधन विभाग को इस नियमावली में संशोधन करने तथा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर निदेश देने की शक्ति होगी ।

संख्या-2/आई.एम.एल.-219/2006 श्र. सं-1452

बिहार राज्यपाल के आदेश से, MINB

व्यास जी)

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः - संख्या-2 / आई.एम.एल. - 219 / 2006 श्र. सं- 1453 पटना, दिनांकः - 19.03.08 प्रतिलिपिः- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 5,000 प्रतियाँ श्रम संसाधन विभाग को उपलब्ध कारण सहित सुवना जल्द से जल्द क्या करने की भूनो जायेगी । र्रेक ज्यक कि निरुक MID13

व्यास जी)

माम्रस प्रखंड एव जिला कार्यालयों में एक रनिस्टर रखा जायेगत जिसम ज्ञापांक :-संख्या-2/आई.एम.एल.-219/2006 श्र. सं- 1453 पटना, दिनांक :- 19.03.08 प्रतिलिपिः- श्रमायुक्त, बिहार, पटना/ उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग/ माननीय उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी / सरकार पक्ष, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । 🖻 💷 आठावी अवस्थापुर प्र

Chin33

(लि फ्राफ्ड) फिल ये अम अगोलक इस योजनों के प्रमारी होंगे । जिला प्रवाधित्वर्ति क्र प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-संख्या-2/आई.एम.एल.-219/2006 श्र. सं- 1453 पटना, दिनांक :- 19.03.08 प्रतिलिपिः- सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त/ सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ सभी श्रम अधीक्षक एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

हमी जन्म प्रवाधिकारी को इस कार्य हेतु झाविकृत कर सकरी एव ना गया थित

OM173 (व्यास जी)

प्रधान सचिव

प्रपत्र-1

(दो प्रतियों में)

बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना

(दुर्घटना सूचना प्रपत्र)

(दो	प्रतियों म	ों प्रखंड	विकास	पदाधिकारी/	श्रम	अधीक्षक/	जिला	दंडाधिकारी/पंचायत/	शहरी	निकाय
					and the second second	में दिया ज	-			

प्रेषक,

	नाम (बडे अक्षरों मे):-	1. (क) मुल व्यक्ति का	
गयलधामा	sþ	(छ) गता-ग्राम	
महाशय,		अंचल	
यह सूचित करना है कि श्रीमती/श्री		जो कि	;
श्री के पुत्र / पुत्री / पत्नी		आधिवासी ग्राम	
	प्रखण्ड	जो प्रवासी मजदूर के रूप	Ŧ
में (ग्राम का नाम/ शहर/जिला/ राज्य)		में कार्यरत था, की	t
मृत्य (दुर्घटना की तिथि)	. (दुर्घटना का स्थान)		
(मुत्यु का कारण)	है ।	(न) त्रस्त्रञ्च विच्या	
	राष्ट्रान्यतनम्बद्धानम् का	आपका विश्वासभाजन	
दावाकर्त्ता / सूचक का नाम	edu oantre-	पिता का नाम	
ग्राम	पंचायत	जिला	
(मुत्यु का कारण) दावाकर्त्ता / सूचक का नाम ग्राममृतक से आवेदक का संबंध	-44 / 400-940-940-940-	ынк Я.Г с	

ौदावा पठा को प्राप्ति रसीव हो जायेगी इमिर त्योप्र पत्र की एक हस्तावरित प्रति आविरक को आविरत हेने के समय हाम्लामान्यमुस्ट ान्ट्रांट्र रूड्य मिल्लाय प्रंज राज्वे

प्रपत्र-1 में प्रवासी मजदूर की मृत्यु के संबंध में श्रीमती/श्रीसे सूचना प्राप्त किया । पुत्र/ पुत्री/ पत्नी.....से सूचना प्राप्त किया ।

हस्ताक्ष	τ:
नाम	:
पदनाम	:
मुहर	:

तिथि

प्रपत्र-2

(दो प्रतियों में)

बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए दावा-पत्र

(द्वांटना सूचना प्रपन्न)

(प्रखंड विकास पदाधिकारी/ श्रम अधीक्षक / जिला दंडाधिकारी को तीन प्रतियों में दिया जायेगा)*

(क) मृत व्यक्ति का नाम (बड़े अक्षरों में):-

(ख) पता-ग्राम	 पंचायत	 थाना
अंचल	 जिला	

- 2. दुर्घटना का विवरणः-
 - (क) तिथिः-

1.

- (ख) समयः- पूर्वाह्न / अपराह्न
- (ग) स्थान
- (घ) प्रखंड विकास पदाधिकारी/ श्रम अधीक्षक/ जिला दंडाधिकारी/ पंचायत/ शहरी निकाय को कब संसूचित किया गया था :-
- (ड.) दुर्घटना का विस्तृत व्योराः-
- (च) मृत्यु की तिथि एवं समय :-
- 3. मृत्यू प्रमाण-पत्र /पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट निर्गत करनेवाले प्राधिकारी का नाम :-

*दावा पत्र की प्राप्ति रसीद दी जायेगी और दावा पत्र की एक हस्ताक्षरित प्रति आवेदक को आवेदन देने के समय दी जायेगी ाजनार का का का का का का का का

दावेदारों का ब्योरा

					7 12			
		की प्रयंत्र)	ति मृतक	के निम्नी	लेखित आश्रि	त है:-	(प्रवासी मंत्र	
1.	(i)							बिंध
	()							
	(ii)	नाम	जिला यन	. उम्र			मृतक के साथ सं	बंध
						•		
T	(iii)	नाम		. उम्र	·····		मृतक के साथ सं	बंध
् विकरी	50	- 14					TERIQE PP.	MC I STORE
नाम		जीतीम	यथा-सडक जि	उम्र	ाम जिल्ला म		मृतक क साथ स	षय
	(\mathbf{v})	िंग् - स्ति जनाम	दुर्घटना प्रप	्रम	वीड्री प		मतक के साथ सं	बध बंध
	(v)	मा किया विधि	अगवि जिम		I SINE			
	(vi)	नाम		उम्र			मृतक के साथ सं	बंध
		印	112	-				
	8	8	6 7		5		4	2 3
		मैं /हम घोषण	। करता/करते/करते	ो हूँ कि	उपर्युक्त सूर	वना मेरी जान	कारी में सही है	
			ा करता∕करते∕करते	ो हूँ कि	अगर कोई	सूच्ना झूठा	पाया जाय ता मर	a de la companya de la
		दावा अविधिमा	न्य हो जायेगा ।					
गवाह								
	1.	नाम एवं पता				1.	1	
		(क) (म)				2.		in the second second
		(ख)				3.		
-							••••	
विता	अधिमु	ड विकास		मधि ए			जिला कार्यालय	
		थिकारी का	ानेवाले का पदा				दारों का हस्ताक्षर	जत्म
	(जाँच	व पदाधिकारी द्वारा	भरा जायेगा)	हरताह		विक्रया गय	प्राप्त चेक	
	(क)		बंध में मंतव्यः-			जी विवरणी एवं पता) लिथि संख्या।		
	(ख)	मृत्यु के कारण	ा के संबंध में मंतव्य	:-				गतिवेदन् भेजने
	(ग)		की गयी । जाँच प्र	-	संलग्न है। ग	ने अनुशसा व	ज्रता हू कि	वी लिचि
		की स्वीकृति/ अन	स्वीकृति दी जा सकत				न जिन्हा गनाशिह	कारी का हस्ताक्षर 🕦
-	15	and a strength	14	13		્રપ્રહ	A REAL PROPERTY AND A REAL	niti ani ettiliait U
	Los in				Lesser.	1	(मुहर)	L
स्थानः	-	जाँच पदाधिक	ारी का हस्ताक्षर, पद	गाम	प्र	खंड विकास प	ग्दाधिकारी का हर	ताक्षर
101.11								
दिनांव	5:-						in a starting the start	

इसे दावे की जाँच पड़ताल और उनका निष्कर्ष स्वीकार्य है। दावा स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है। जिलाधिकारी का हस्ताक्षर श्रम अधीक्षक अथवा लिादंडाधिकारी द्वारा (मुहर) प्राधिकृत पदाधिकारी स्थानः-

<u>प्रपत्र-3</u>

(प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के अधीन पंजी संधारण का प्रपत्र)

प्रखंड का नामः-

जिला का नाम:-

क्रम सं०	নিথি	मृतक का नाम एवं पता	904 97	मजदूर का प्रकार, यथा- कृषि मजदूर, बीड़ी मजदूर आदि ।	दुर्घटना का प्रकार, यथा-सड़क दुर्घटना आदि	प्राधिकारी का नाम जिन्हें प्रपत्र–1 जमा किया गया (तिथि के साथ)	दावा पत्र प्राप्ति की तिथि	जाँच पदाधिकरी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		म राक्ष त आय () শेर्ग	वमा परा आमकार सुवमा दाउँ। पार्व -	ह कि उपरोक्ता स्कृ ह कि आगर कोई	॥ ७९७ ते ८ करते। ॥ ८ करते / करते जापेगा ।	রন যাবগ রূম কন যাবগ রূম কন্মিদোল্য র যবিদোল্য র		साम्य
							(25)	

श्रम अधिक्षक/	जिला कार्यालय	भुगतान करने की	तिथि एवं ब्योरा	प्रखंड विकास	अभ्यिुक्ति
जिला दंडाधिकारी को जॉंच प्रतिवेदन भेजने	से प्राप्त चेक की विवरणी (तिथि⁄संख्या)	किया गया (नाम एवं पता)	Corp.	पदाधिकारी का हस्ताक्षर	63- (ar (19-)
की तिथि 10	ा 11गइम सरको हो	12	13	14910-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	15
	(1 8 <u></u>)	1			

আৰু তাল্য চলাইক্ষেপ্ৰী কৰা ইদ্যায়ৰ, অৱসাদ আ উত্ত বিকালে দ্ব্যাগ্যভাগে আ বন্ধ ইদ্যায়ৰ

ितना इंडावियमती का कार्यालय

जिल्ला व्यक्त से हरता ह

.

अध्यम् लिएडोपिलगर्भ आग

प्राधिकृत पदार्थिकासी

- : 77 7 7 7 7

प्रपत्र-4

(बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर पंजी संधारण का प्रपत्र)

जिला का नामः-

क्रम सं0	प्रखंड का नाम	मृत प्रवासी श्रमिक का नाम एवं पता	मजदूर का प्रकार	दावा-पत्र प्राप्ति की तिथि	जाँच प्रतिवेदन प्राप्ति की तिथि	दावा स्वीकृत/ अस्वीकृत की तिथि
1	2	3	4	5	6	7

चेक/ड्रा	फ्ट का विवरण	प्रखंड विकास	अभ्यिुक्ति	
संख्या एवं तिथि राशि		पदाधिकारी को चेक/ ड्राफ्ट भेजने की तिथि	(क्या दावेदारी को भुगतान हो गया)	
8 9		10	11	
	đ			

Govt. of Bihar (b) " Block Development Officer" m **Deptt. of Labour Resources**

(d) " District Magistrate "means District Magistrate and collector appointed by the State Govt

(c) " Circle Officer " means (Circle Officer of NOTIFICATION NOTIFICATION (c) " Circle Officer " means (Circle Officer of NOTIFICATION

Patna, Dated 19.03.08 methode in backet in the network of the Patna, Dated 19.03.08 methods of (1) dependentison, namerried daughter and parents, sincast of deceased unmitted labourer, father

No...... Whereas the State Govt. is satisfied that it is necessary to provide grant to the dependents of the domicile migrant labourers of the State in the event of their death. To achieve the said object, it is necessary to enact Bihar State Migrant Labour Accident Grants Scheme Rules 2008.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Article 39 (a) of the Constitution of India, the State Government of Bihar hereby makes The Bihar State Migrant Labour Accident Grants Scheme Rules, 2008 as follows:-

Bihar State Migrant Labour Accident Grants Scheme Rules-2008

Short title, extent & commencement :- These rules may be called the Bihar State Migrant 1. Labour Accident Grants Scheme Rules, 2008

meanine as witholy understood in the Stine of Bilton

5. In ease of death of a murrant laborner, a grant

(2) It will extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It will come into force from 1st April, 2008.

2. Definitions:-

drafe shall be plaid to the docuted dependent (s). Lithere is now displate against the (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) " Accident" means death due to accident caused by external violence which is apparent in nature and shall include:-

Train or road accident, electric shock, snake-bite, drowning, fire, falling from tree or building, attack by wild animals, terrorist or criminal attack etc. However, this list is illustrative and not exhaustive.

Provided that, it shall not include death caused by self inflicted injury or suicide or accident caused under inebriated condition or death caused while committing criminal offences. This scheme shall also apply in cases of death caused by atomic radiation and war.

(b) " Block Development Officer" means Development Officer of the Blocks appointed by the State Govt.

(c) "Circle Officer" means Circle Officer of the circles (Anchals) appointed by the State Govt.

(d) "District Magistrate " means District Magistrate and collector appointed by the State Govt.

(e) "Dependent" means widow of deceased labourer and husband in case of female labourer,

dependent son, unmarried daughter and parents, incase of deceased unmarried labourer, father and mother jointly.

Note:- The grant shall be distributed among all dependents in equal proportion .

(f) "Labour Commissioner" means the Labour Commissioner appointed by the State Govt.

(g) "Labour Superintendent" means Labour Superintendent appointed by the State Govt.

(h) "Migrant Labourer" means labourer working in unorganized sector in other States.

(i) "Rule" means Bihar State Migrant Labour Accident Grants Scheme Rules, 2008. and a state Migrant Labour Accident Grants Scheme Rules, 2008.

2. Words and expressions used herein but not defined in these rules shall have the same meaning as widely understood in the State of Bihar.

3. Circle Officer shall decide legal dependent (s) in the above order of the descendants.

4. This scheme will apply to such migrant labourers who are domicile of State of Bihar, and falling in the age group of 18 to 65 years.

5. In case of death of a migrant labourer, a grant of Rs. 1 (One) lakh by way of crossed cheque/ demand draft shall be paid to the decided dependent (s). If there is any dispute against the dependent (s) as decided by the Circle Officer, an appeal shall lie before to the District Magistrate whose decision shall be final.
6. (a) Information regarding an accident shall be given in Form-1 to the Block Development Officer/

Labour Superintendent / District Magistrate/ Panchayat / Urban bodies. In case of non- availability of Form, information shall be given on plain paper. These forms shall be kept in sufficient numbers at all district offices/ Sub- divisional offices/ Block offices and offices of Panchayat/ urban bodies.

(b) It shall be expected from the dependent (s) of the deceased migrant labour that he will inform the authority named above about the accident as soon as possible.

-2-

7. Claim to receive the grant shall be filed in Form-2 in the offices of B.D.O/ Labour Superintendent/ D.M. The labour superintendent/ D.M. shall immediately after receipt of the claim, send it to the concerned Block development officer for enquiry and report.

8. (a) The Block Development officer immediately after receipt of a claim shall proceed to enquire into it.

(b) While making the enquiry, the Block Development Officer shall ascertain the facts about the employment of migrant labour, cause of death, his age and legal dependent (s) and veracity of the claim.

(c) The enquiry shall be completed within 14 days of the receipt of such claims and such enquiry reports shall be sent to the Labour Superintendent /District Magistrate without any further delay.

(d) Such enquiry reports will be processed by the Labour Superintendent/ District Magistrate as quickly as possible.

9. (a) If the District Magistrate deems fit, he may enquire the claim further either by himself or any other officer subordinate to him. However, any such enquiry shall be completed within a month of the receipt of the said report of the Block Development Officer.

(b) The District Magistrate shall decide the claim within 30 days of the receipt of the enquiry report, as the case may be. In case the claim is sanctioned, the payment of the grant shall be made through crossed cheque / demand draft to the dependent (s) through the Block Development officer. In case, the claim is rejected, an information to this effect with reasons shall be sent to the claimant as soon as possible.
10. A register shall be maintained at all Block and District offices in which information regarding accidents and decisions regarding claim shall be duly recorded and preserved. The register shall be

maintained in Form-3 in Block offices and Form-4 in District offices.

11. (a) Labour Commissioner, Bihar shall be in - charge of the Scheme at the State level.

(b) Labour Superintendent shall be in- charge of the Scheme in the districts. However, District Magistrate may authorise any other officer subordinate to him for this purpose and that officer shall be incharge of the Scheme.

(c) District Magistrates may review the Scheme in the districts and issue suitable instructions for proper implementation of the Scheme.

-3-

12. Every Block Development Officer shall send progress report by 10th of every month to the District Magistrate, and the District Magistrate shall send progress report by 15th of every month to the Labour commissioner, Bihar.

13. If a migrant labour has an insurance policy his dependent (s) shall not be denied benefit under this Scheme.

14. All such officers shall be liable for disciplinary action if they wilfuly fail to discharge their duties prescribed under this Scheme.

15. Department of Labour Resources, shall have the powers to amend these rules and issue instructions from time to time for implementation of the Scheme.

No. 2/IML-219/2006 L&R-1452 By the Order of the Governor of Bihar

> רו אל) (Vyas Ji) Principal Secretary

ज्ञाप सं0- 2/आई.एम.एल.-219/2006 श्र.सं.- 1453

पटना, दिनांक - 19.03.08

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगमी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 5,000 प्रतियाँ श्रम संसाधन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

ज्ञाप सं०- 2/आई.एम.एल.-219/2006 श्र.सं. - 1453

प्रतिलिपि – श्रमायुक्त, बिहार, पटना/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त/ सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/ सभी संयुक्त श्रमायुक्त/ सभी उप श्रमायुक्त/ सभी उप श्रमायुक्त, कृषि श्रमिक / सभी सहायक श्रमायुक्त, कृषि श्रमिक सहित/ सभी श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक सहित/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी अंचलाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी,2,3 (सरकार पक्ष), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

> (व्यास जी) प्रधाान सचिव

पटना, दिनांक - 19.03.08

-4-

Form-1

(In Duplicate)	
Bihar State Migrant Labour Accident Grants Scheme	e
(Accident Information Format)	

(To be submitted in Duplicate to B.D.O/ Labour superintendent / District Magistrate/ Panchayat/ Urban bodies)

DA(d)
Deuchter of /W/o
Deughter of /W//o
Doughton of /W//o
Daughter of /W/o
art/n)
ge / City/ District /
te of accident)
on account of
W (b)
inform
1

Name of Claimant / Informant	ant Father's Name		
Village	Panchayat	District	
Relation with deceased		Burnst Anothin Viame of Wante	
		V DeathCertificate/Post Morteur	

Receipt Bihar State Migrant Labour Accident Grants Scheme

Received the information in Form-1 about the death of Migrant Labour Srimati/ Shri ______S/o /Daughter of / W/o ______ from Srimati/ Shri _______on

Signature

Name

Designation

Seal

Date:

Form-2 (In Duplicate)

Claim Form for Bihar State Migrant Labour Accident Grants scheme (To be submitted in Triplicate to B.D.O/ Labour Superintendent/ District Magistrate*)

1. (a) Name of deceased (In Block Capital Letters)

(b)Address-Village	Panchayat	-
P.S	Circle	
District		-

2. Statement of Accident :

(a) Date _____

(b) Time ______ A.M./P.M.

(c) Place

(d) When was B.D.O/Labour Superintendent/ D.M/ Panchyat/ Urban bodies informed.

(e) Details of Accident.

(f) Date of Death & Time

3. Name of Authority issuing

Death Certificate / Post Mortem

Report.

*The receipt of the claim form shall be acknowledged and one signed copy of the form shall be given to the applicant in time of the receipt.

Details of Claimants Following are dependents of deceased

				and the second sec	Relation with deceased
(iii)Name _			Age		Relation with deceased
(iv)Name	Nume of	to but X	Age	Name	Relation with deceased
(v)Name _	monus -	negulant peg Brodi	Age	A duress	Relation with deceased
(vi)Name	300/-	Accident	Age	Clausiants	Relation with deceased

I/We declare that above information is correct to the best of my knowledge.

I/We declare the if any information is found to be false, my claim shall be deemed illegal.

Witnesses

1. Name & Address

dur "Dectifie ridente <u>rec</u> eived from To whom Stanture of vot Mugistance <u>10</u> 15truct of free payotent was prived	(a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	f payment	Date & details o	1- 10 210 2- 3-	Date of Sending orquity report to the
(To be filled by inquiry Officer)		Signature of payou	payintent was	mont bavisser	nature of Claimants

(a) Opinion about dependents:-

- (b) Opinion regarding cause of death:-
- (c) The claim was enquired. The enquiry report is enclosed. I recommend that the claim may be sanctioned/rejected.

Place:	Signature of inquiry	
- meet	Officer	Signature of B.D.O
Date:	Designation	(Seal)

Office of the District Magistrate_

Labour Superintendent

or an officer authorised by the District Magistrate Place:______ Date:______ Signature of D.M

(Name of the Officer) and his

(Seal)

1.

<u>Form-3</u> (Form of Register under Bihar State Migrant Labour Accident Grants Scheme)

Name of the Block:-

Name of the District :-

SI. NO.	Date	Name & Address of deceased	Name & Address of Claimants	Kind of Labour e.g. Agriculture Labour, Bidi worker etc.	Kind of accident e.g. Road Accident etc.	Name of Authority to whom Form - 1 was submitted (with) date)	Date of receipt of claim	Name of Inquiring officer
1	2	3	4	5 0 0 10010021	6	e that abo 7 0	8	9

Date of Sending enquiry report to the	Details of cheques	Date & details of payment Signature of Remar B.D.O		Date & details of payment		Remarks
Labour superintendent/ District Magistrate	received from District office (Date / No)	To whom payment was made (Name & Address)	Signature of payee		n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	
10	11	12	13	14	15	

(b) Opinion is gur lung a noimig (b)

es). Ene chevre trois energineo i Pho regents, tep je is cristicito ed. En commonic that the chemic anglia a assumed, is actual.

> Signal **reat** haan a Orlicer Designation

Office of the De trial Magistrate

nesse stainsque ruods l

an officer autoprised active the theory of Mankowsta

2 /J2⁴9

Mattheoretic Dali Mattheoretic

Form-4

(Form for maintenance of Register under Bihar Satat Migrant Labour Accident Grants Scheme at District level)

Name of the District :-

SI. No.	Name of Block	Name & Address of Deceased Migrant Labour	Kind of labourrer	Date of Receipt of claim	Date of Receipt of Enquiry report	Date of Sanction/ rejection
1 -	.2	3	4	5	6	7

Details of Cheque/ Draft		Date of Sending Cheque/ Draft to B.D.O	Remarks	
No & Date	Amount		(whether payment made to claimants)	
8	9	10	11	